# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय–आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 5625/2022 सतीश चन्द मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर, द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2022 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थी वर्तमान में राउप्रावि जीतिया, ग्राम पंचायत छापरी, ब्लॉक कपासन, जिला चितौडगढ़, संभाग उदयपुर में वरिष्ठ अध्यापक (पद प्रधानाध्यापक–उप्रावि) के पद पर कार्यरत है जबकि याचिकार्थी का संभाग भरतपुर है। याचिकार्थी के कथनानुसार याचिकार्थी से निम्न वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों को भरतपुर संभाग आवंटित किया गया है। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उदयपुर संभाग से भरतपुर संभाग में निवास स्थान के समीप किसी विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापन करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2022 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को सम्भाग आवंटन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश दिनांक 02.07.2020 के अनुसार "सम्भागवार विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थी उस सम्भाग को आवंटित किए जावें। वरिष्ठ अध्यापक की रिक्तियों (आरक्षण सहित) की गणना सम्भागवार ही की जाती है अतः सम्भाग में वर्गवार (अनारक्षित श्रेणी/आरक्षित श्रेणियां यथा महिला/एससी/एसटी /ओबीसी/एमबीसी /सहरिया/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/ परित्यक्ता इत्यादि) विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप अभ्यर्थी के चयन वर्गवार, रवसे के वर्ग, मेरिट के आधार पर तथा अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प पत्र में अंकित सम्भाग की प्राथमिकता के अनुसार सम्भाग आवंटन किया जावें," के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुसार ही सम्भाग आवंटन किया गया है।

याचिकार्थी सतीश चन्द मीणा का आयोग द्वारा विषय–हिन्दी में आवेदित वर्ग एवं चयन वर्ग STM में वरीयता क्रमांक 1200 पर चयन किया जाना पाया गया। विभागीय नियमानुसार याचिकार्थी को उसके वर्ग एवं चयन वर्गवार मेरिट के आधार पर उसके द्वारा दी गई संभाग की प्राथमिकता के अनुसार पांचवी प्राथमिकता पर अंकित उदयपुर मण्डल में आवंटित किया गया। याचिकार्थी के विकल्प पत्र में प्राथमिकता पर अंकित भरतपुर, जयपुर, अजमेर एवं कोटा मंडल में याचिकार्थी के वर्ग एवं चयन वर्ग STM में अन्तिम आवंटित अभ्यर्थी का वरीयता क्रमांक क्रमशः 1181,1111,1164 एवं 1132 रहा है, जबकि याचिकार्थी का वरीयता क्रमांक 1200 है। अतः शासन के दिशा–निर्देश एवं विभागीय नीति के अनुसार ही याचिकार्थी को नियुक्ति हेतु उदयपुर मण्डल आवंटित किया गया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 विषय–हिन्दी में विभाग द्वारा किए गए संभाग आवंटन में याचिकार्थी के वर्ग एवं चयन वर्ग STM याचिकार्थी से कनिष्ठ किसी भी अभ्यर्थी को याचिकार्थी के विकल्प पत्र में पहली प्राथमिकता पर अंकित भरतपुर मण्डल नियुक्ति हेतु आवंटित नहीं किया गया है

याचिकार्थी द्वारा गृह मण्डल में वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) के वर्तमान में पद रिक्त होने के आधार पर आवंटन की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल स्तर का है, जिसका नियुक्ति अधिकारी संबंधित मण्डल का संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) है। अतः संयुक्त निदेशक (समस्त सम्भाग) रोस्टर के आधार पर वर्गवार आरक्षण के अनुसार अर्थना तैयार कर विभाग को प्रेषित करता है। विभाग सभी मण्डलों से वर्गवार प्राप्त अर्थना को संकलित कर वर्गवार योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु अर्थना आयोग को प्रेषित करता है। आयोग परीक्षा का आयोजन कर अर्थना में प्रदर्शित वर्गवार अभ्यर्थियों का चयन कर वर्गवार एवं चयन वर्गवार अभिस्तावना विभाग को नियुक्ति हेतु प्रेषित करता है। आयोग से वर्गवार एवं चयन वर्गवार अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्राप्त अभिस्तावना के अनुसार विभाग द्वारा मण्डल आवंटन की कार्यवाही आयोग को प्रेषित मण्डलवार वर्गवार अर्थना की सीमा तक की जाती है। जिस मण्डल में वर्गवार जितने पद विज्ञापित किये जाते है, उतने ही अभ्यर्थी वर्ग एवं चयन वर्गवार नियुक्ति हेतु आवंटित किये जाते है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि **"the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post."** इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती।

कार्मिक की व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में इच्छित स्थान पर पदस्थापन का अधिकार सृजित नहीं होता है।

अतः याचिकार्थी द्वारा उदयपुर मण्डल के स्थान पर भरतपुर मण्डल आवंटित कर वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) के रिक्त पद पर पदस्थापित करने की मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नीति के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाये जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध/12855/2022 दिनांकः– 13/7/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग–उदयपुर, उदयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि), जोधपुर
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा
4. सहायक निदेशक (विधि), कार्यालय हाजा की अनौ.टि. क्रमांकः शिविरा/माध्य/विधि/बी–2/जोध/नि0/29849/सी/2022/3 दिनांकः 10.06.2022 के क्रम में।
5. याचिकार्थी सतीश चन्द मीणा, राउप्रावि जीतिया, ग्राम पंचायत छापरी, ब्लॉक कपासन, जिला चितौडगढ, (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते